

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2-

संख्या-1184/ग्यारह-2-24-9(47)/17-टी.सी.263-30प्र0अधि0-1-2017-

आदेश(325)-2024

लखनऊ: दिनांक: 09-10-2024

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा, अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-844/11-9(47)/17-30प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(11)-2017, दिनांक-30-06-2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 5कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (2), (3) और (4) में निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां बढा दी जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"5कख	आवासीय भवन से भिन्न किसी भी संपत्ति को किराये पर दिये जाने के लिए सेवा।	कोई भी अरजिसूत्रीकृत व्यक्ति	कोई भी रजिसूत्रीकृत व्यक्ति ."

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

Signed by

M Devaraj

Date: 09-10-2024 21:54:06

प्रमुख सचिव